न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या।92/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुरण कंवर पत्नी श्री ओमसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला जोधपुर।		1 जब्बर सिंह पुत्र जुगतसिंह 2 हडमान सिंह पुत्र जुगतसिंह 3 नारायण पुत्र जुगतसिंह 4 चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण– ग्राम बारू, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 16.03.2002 जो तहसीलदार फलौदी, जिला जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 15/1999 अनवान जुगतसिंह बनाम चन्दनसिंह वगैराह में पारित करते हुए नामान्तकरण संख्या 509, ग्राम बारू को निरस्त किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री गुलाबसिह चम्पावत, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27 अक्टूबर,2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बारू, मूल तहसील फलौदी, वर्तमान तहसील बाप के कुल 21 खसरा नम्बरों के संयुक्त खातेदारी की कुल रकबा 2640 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त भूमि वक्त बन्दोबस्त से हाथीसिंह, सांवरसिंह, सुल्तानसिंह व जुगतसिंह के नाम संयुक्त खातेदारी के नाम से दर्ज थी। इन सहखातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का आपस में पारिवारिक बंटवाडा कर लिया गया। उक्त बंटवाडे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 509 दिनांक 15.09.1980 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 संख्या 509 के विरूद्व श्री जुगतसिंह ने एक प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष पेश की जो दिनांक 07.05.1997 को स्वीकार की गई एवं उक्त नामान्तकरण संख्या 509 निरस्त कर दिया। उपखण्ड अधिकारी फलौदी के उक्त आदेश के विरूद्व सहखातेदार रामसिंह वगैराह द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील संख्या 12/1999 पेश की जो दिनांक 21.04.2000 को आशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी फलौदी के आदेश दिनांक 05.07.1997 तथा नामान्तकरण संख्या 509 दोनों को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलौदी को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि सहखातेदारों के मध्य हुए बंटवाडे के बारे में जांच करे तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर देकर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रेषित रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार, फलौदी के द्वारा अपीलार्थीया को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, बिना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कोई नोटिस दिये, नामान्तकरण संख्या 509 को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड में इस नामान्तकरण से पूर्व स्थिति बहाल करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। इसलिये आलौच्य आदेश निरस्त करने योग्य है क्योंकि तहसीलदार, फलौदी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 509 से प्रभावित सभी पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस कारण से अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण इसी आधार पर निरस्त करने के काबिल है। इसके अतिरिक्त उक्त रकबा भूमि के मूल सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से सभी खसरों बाबत बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालय के समक्ष पेश किया था तथा उस बंटवाडे के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 509 स्वीकृत किया गया था तथा उस स्वीकृत नामान्तरकरण के अनुसार ही सभी सहखातेदार ही शुरू से लेकर आज दिन तक काबिज एवं काश्त करते आ रहे है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीनी पुरण कंवर ने नाथुसिंह पुत्र श्री सांवल सिंह से जरिये बक्शीश के खसरा नम्बर 1259/4 रकबा 2 बीघा भूमि प्राप्त की तथा अपीलार्थीनी वर्तमान में जमाबन्दी रेकर्ड अनुसार एक रेकर्डेड खातेदार है। तहसीलदार फलौदी के द्वारा न तो अपीलार्थीनी को कोई नोटिस दिया तथा न ही पूर्व खातेदार नाथुसिंह पुत्र श्री सांवलसिंह को सुनवाई का नोटिस दिया गया है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो बहाल रखे जाने के काबिल नहीं है। नामान्तकरण संख्या 509, तहसीलदार के आदेश अनुसार पारित नामान्तरकरण था। तहसीलदार, फलौदी के आदेश की आज दिन तक कोई कार्यवाही नही हुई है। केवल नामान्तकरण संख्या 509 व उपखण्ड अधिकारी फलौदी के आदेश की अपील माननीय न्यायालय हाजा में हुई थी। जब तक तहसीलदार फलौदी के उक्त आदेश को निरस्त नही किया जाता है, तब तक स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 509 कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, फलौदी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में बंटवाडे को आधारहीन मानकर नामा0 संख्या 509 को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। पारिवारिक बंटवाडे को रजिस्टर्ड करवाना कानूनन आवश्यक नहीं है तथा तहसीलदार के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में सरसरी दृष्टि से नामान्तकरण संख्या 509 को खारिज करने में विधिक भूल की है। तहसीलदार द्वारा विवाद ग्रस्त भूमि के संबंध में कोई मौका रिपोर्ट पेश नही की, न ही प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार सुनवाई के समुचित अवसर देकर ही नामान्तकरण के संबंध में आदेश पारित करना था। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधिक दृष्टि से बहाल रखने के काबिल नही है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1259/4 व अन्य खसरो की भूमि में सभी खातेदार बंटवाडा वर्ष 1979 से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

लेकर आज दिन तक मौके पर उसी बंटवाडे अनुसार काबिज व काश्त करते आ रहे है। तहसीलदार के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में उस बंटवाडे को निरस्त करने में विधिक भूल की है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 509 को बहाल किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरें पेश की यथा डीएनजे राज, 2000 पेज 804, सीसीसी, 2010 पेज 374, आरआरडी, 2008 पेज 842, आरआरडी 1998 पेज 319 इत्यादि।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मौजा बारू तहसील बाप के 21 खसरा नम्बरों की संयुक्त खातेदारी की भूमि कुल रकबा 2640 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त सहखातेदारों द्वारा पारिवारिक बंटवाडा किया गया। तथा बंटवाडे के आधार पर नामा0 संख्या 509 दिनांक 15.9.08 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष जुगतसिंह ने प्रस्तुत की गई। जो स्वीकार होकर नामा0 संख्या 509 निरस्त किया गया। उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के आदेश के विरूद्ध रामसिंह व नाथुसिंह पुत्र सांवलसिंह ने न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जिस पर न्यायालय हाजा ने दिनांक 21.4.2000 को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के आदेश तथा नामा0 संख्या 509 दोनों को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलौदी को सहखातेदारों के मध्य हुए बंटवाडे के बारे में जॉच करने व सुनवाई का समुचित अवसर देकर नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना में दिनांक 16.3.2002 को तहसीलदार फलौदी ने रिमाण्ड प्रकरण में आदेश पारित करते हुए नामा0 संख्या 509 को निरस्त करते हुए दिनांक 15.9.1980 से पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश प्रदान कर दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष नाथुसिंह ने अपील प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय हाजा ने अपीलाण्ट नाथूसिंह की अपील खारिज कर दी तथा तहसीलदार फलौदी का आदेश दिनांक 16.03.2002 को यथावत रख दिया। नाथुसिंह पुत्र सांवलसिंह ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के वहां पेश की तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने बाद सुनवाई दिनांक 23.12.2011 को आदेश पारित कर नाथुसिंह की निगरानी खारिज कर दी तथा दोनों निर्णयों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि व तात्विक अनियमितता नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व तथ्यों से परे होने के कारण निगरानी अपीलाण्ट की खारीज कर दी। उक्त विवादित भूमि के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय से अन्तिम निर्णय पारित हो चुका है तथा अपने निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को कानूनन सम्मत मानते हुए म्यूटेशन संख्या 509 को निरस्त माना तथा तहसीलदार फलौदी का आदेश यथावत रखा। उक्त विवादित भूमि के संबंध में राज्य के उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय हो चुका है। इस कारण उक्त विवादित भूमि के संबंध में दुबारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि वर्तमान अपीलार्थीनी ने तहसीलदार फलौदी के उक्त निर्णय दिनांक 16.02.2002 के विरूद्व पुनः अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जबकि तहसीलदार फलौदी के उक्त आदेश के विरूद्व पूर्व में अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के वहां निर्णित हो चुकी है, तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 28.02.2006 को पारित कर दिया तथा तहसीलदार फलौदी का आदेश यथावत रखा, तथा तहसीलदार फलौदी व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर का आदेश दिनांक 28.02.2006 को राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय ने भी आदेश को यथावत रखा, राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई रिट विचाराधीन नहीं है। इस कारण विवादित भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अन्तिम निर्णय पारित हो चुका है। इस कारण उक्त विवादित भूमि के संबंध में नए सिरे से पुनः अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के वहां पेश नहीं हो सकती है, अब अपीलार्थीया की अपील मेन्टनेबेल ही नहीं है। इस कारण कानूनन अपीलार्थीया की अपील पुनः तहसीलदार फलौदी के आदेश विरूद्व दुबारा अपील कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः अपील प्रथम प्रारम्भिक स्तर पर ही खारीज करने योग्य है। इस आधार पर अपीलार्थीया की अपील को खारिज किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.02 को बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (न्यायालय हाजा) के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 15.09.1980 एवं उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के आदेश दिनांक 7.5.1997 के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 12/1999 दिनांक 21.04.2000 को ही निर्णित की जा चुकी है। तत्पश्चात तहसीलदार, फलौदी के द्वारा भी रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 16.03.2002 को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई करने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार फलौदी के द्वारा दिनांक 16.03.2002 को पारित निर्णय में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं पाई गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत इस अपील के आधार पर तहसीलदार फलौदी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2002 में लगभग 20 वर्ष पश्चात अब किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, फलौदी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2002 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त